



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 अप्रैल 2020 — चैत्र 24, शक 1942

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अप्रैल 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-42/2020/वा.क.(आब.)/पांच(57).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (घ), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

1/ उक्त नियमों में :-

- (1) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की “शर्त क्रमांक 8 (क)” में शब्द एवं अंक समूह “पूर्वाह्न 12.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक” के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह “पूर्वाह्न 12.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक” प्रतिस्थापित किया जावे।
- (2) प्रारूप एफ.एल.3 की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह, एवं अंक, “स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रुपये 760/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रुपये 90/-” के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक, “स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रुपये 660/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रुपये 100/-” प्रतिस्थापित किया जावे।
- (3) प्रारूप एफ.एल.-3क (शॉपिंग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 9 (क) में शब्द एवं अंक समूह “पूर्वाह्न 12.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक” के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह “पूर्वाह्न 12.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक” प्रतिस्थापित किया जावे।
- (4) प्रारूप एफ.एल.3-क की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक, “स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रुपये 760/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रुपये 90/-” के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक, “स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रुपये 660/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रुपये 100/-” प्रतिस्थापित किया जावे।

2/ यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.